



केन्द्रीय उत्पाद, सीमाशुल्क एवं सेवा कर आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE, CUSTOMS & SERVICE TAX
केन्द्रीय राजस्व भवन, आई.एस.प्रेस रोड, कोचिन-18
C.R.BUILDING, I.S.PRESS ROAD, COCHIN-18

E-mail: cexcochi@excise.nic.in

FAX-0484-2390608

Phone : 0484-2390404

C.No 11/3/9 2011-Estu.

तारीख Dated: 30.03.2012.

आदेश सं. ORDER NO. 38/2012

विषय : स्थापना-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क अधीक्षकों की श्रेणी में पदोन्नति-सम्बन्धित।
Sub : Estu. - Promotion to the grade of Superintendent of Central Excise & Customs - Reg.

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क के निम्नलिखित निरीक्षकों को रु.9,300- 34,800/- के वेतन बैंड (ग्रेड वेतन रु.4.800/-) और स्वीकृत अन्य भत्तों सहित उनके उच्च पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क अधीक्षक, ग्रूप 'बी' पद के केडर में कार्य करने के लिए पदोन्नत किया जाता है। पदोन्नति पर अधिकारी, 01.04.2012 के बाद या 17.04.2012 से पहले पदोन्नत पद में कार्यभार ग्रहण करें।

The following Inspectors of Central Excise & Customs are promoted to the cadre of Superintendent of Central Excise & Customs. Group 'B' post in the pay scale of Rs.9,300- 34,800/ (GP- Rs.4.800/-) plus such allowances with effect from the date of assuming the charge of higher post. The officers on promotion shall join the higher post after 1st April, 2012 and before 17th April 2012.

Sl. No.	नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	Name of the Officer (S/Shri/Smt)
1.	बिजू जॉर्ज पी	BIJU GEORGE P.
2.	शिबू पी के	SHIBU P.K.
3.	सवीन एम के	SAVEEN M.K.
4.	विनोद कुमार वी वी	VINOD KUMAR V.V.
5.	तारा दिवाकर	THARA DIVAKAR
6.	बिजू के जेकब	BIJU K. JACOB
7.	सेबी पी जे	SEBI P.J.
8.	षानवास पी के	SHANAVAS P.K.
9.	ज्योतिर मोय	JYOTHIR MOY
10.	राजगोपालन वी	RAJAGOPALAN V.
11.	शिवकुमार पी	SIVAKUMAR P.
12.	जोस जॉर्ज	JOSE GEORGE
13.	आन्सी जोयचन	ANCY JOYCHAN
14.	राजू निक्कुन्नत	RAJU NIKKUNATH

2 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क अधीक्षक के केडर में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष अवधि तक वे परिवीक्षाधीन रहेंगे और परिवीक्षा की अवधि संतुष्ट रूप से पूर्ण करने पर ही उन्हें आगे पदोन्नति/अवधारण के लिये विचार किया जायेगा।

The officers will be on probation for a period of two years from the date of assumption of charge as Superintendent of Central Excise & Customs and will not be considered for further promotion / retention unless they complete the probation period satisfactorily.

3 उपर्युक्त अधिकारी, कार्मिक व प्रशिक्षण का.जा. दिनांक 26.09.81 और 05.07.99 के शर्तों के अधीन अपना बतन निर्धारण करने के लिए नये पद में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक माह के भीतर अपना विकल्प दें।

The above officers will have to exercise the option for pay fixation in terms of Department of Personnel & Training's O.M. Dated 26.09.81 and 05.07.99 within one month from the date of joining the new post.

4 उपर्युक्त पदोन्नतियाँ माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रुके पड़े, सी.ए.टी (ई बी) के OA No.530/ 2004, 2) WP No.13126/ 2009 के निर्णयों के विरुद्ध विभाग द्वारा दायर किये गये 1) WP. No.22956/ 2007 के निर्णयों के फलस्वरूप होगी।

The above promotions are subject to the outcome of 1) WP. No.22956/ 2007 filed by the Department against the decision dated 1-2-2007 of the CAT (EB) in OA No.530/ 2004, 2) WP No.13126/ 2009 pending before the Hon'ble High Court of Kerala.

5 इस पदोन्नति के फलस्वरूप आगे आदेश होने तक अधिकारियों को उनके वर्तमान तैनात स्थान पर ही रखा गया है।

Consequent up on this promotion, the officers are retained at their present place of posting until further orders.

6 यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।
This issues with the approval of the Competent authority.


(वी.रमा मैथ्यू V. RAMA MATHEW)
आयुक्त COMMISSIONER

सेवा में To

सभी सम्बन्धित व्यक्ति (सम्बन्धित अधिकारियों के माध्यम से)

The individuals [Through officers concerned]

प्रतिलिपि अग्रेषित/ Copy Submitted to :

1. The Joint Secretary (Admn), Central Board of Excise & Customs. New Delhi.
2. The Chief Commissioner of Central Excise, Kerala Zone, Cochin.
3. The Commissioner, Trivandrum / Calicut / Customs Preventive Commissionerate.

प्रतिलिपि / Copies to:

1. Distribution List - 1.
2. The Secretary, C. Ex. Employees Co-operative Credit Society Limited, Cochin.